महत्वपूर्ण एवं खास

राष्ट्रीयकृत बैंक, जिला सहकारी बैंक एवं प्रायवेट बैंकों के संचालन समय में परिवर्तन

» सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे बैंक

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए शहर में हुए लॉक डाउन के कारण बैंक कर्मियों एवं ग्राहकों के आवागमन में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए जिले में संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक, जिला सहकारी बैंक एवं प्राइवेट बैंकों के समय में परिवर्तन किया है। यह सभी बैंक आगामी आदेश पर्यन्त सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेगी।

दूध एवं डेयरी, पशु आहार, पोल्ट्री फीड के निर्माण के आवागमन एवं परिवहन में संलग्न वाहन होंगे लॉक डाउन से मुक्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने पशु चिकित्सा सेवाएं अंतर्गत संचालित गतिविधियों, दुग्ध एवं डेयरी प्रोडक्ट के निर्माण एवं विपणन, पशु आहार, पोल्ट्री फीड के निर्माण में आवश्यक सामग्रियों के आवागमन एवं परिवहन में संलग्न वाहनों को लॉक डाउन से मुक्त करने हेतु आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जिले में राहत शिविर संचालन हेतु समस्त एसडीएम को निर्देश जारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण से बचाव हेतु बेघरबार व्यक्तियों तथा प्रवासी श्रमिकों हेतु अस्थायी राहत शिविर संचालित करने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए है। जिले के समस्त अनुविभाग में उक्त शिविरों के संचालन के लिए पत्र जारी कर सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि शिविरों में अस्थायी आश्रय, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सुविधाएं संबंधी व्यवस्थाएं लॉक डाउन दिनांक 14 अप्रैल तक बनाये रखे। साथ ही यह भी कहा गया है कि इन शिविरों के संचालन हेतु राज्य शासन द्वारा जारी गाईड लाईन्स के अनुसार आवश्यक व्यवस्था भी बनानी सुनिश्चित की जाए।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा अधिकारी-कर्मचारियों की सेवा अवधि में की तीन माह की वृद्धि

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत सभी संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवा अवधि वार्षिक कार्य मूल्यांकन की प्रत्याशा में 30 जून 2020 तक बढ़ाई दी है तथा आगामी माह हेतु वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर बढ़ाया जाएगा। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा इस आशय के आदेश आज जारी कर कर दिया गया है। आदेश के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अनुसार सभी स्वीकृत कार्यक्रम-गतिविधियों का संचालन स्वीकृति दर अनुसार यथावत क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की कर सकेंगे अस्थाई संविदा नियुक्ति

» छत्तीसगढ़ सरकार ने कलेक्टरों को दिया अधिकार

रायपुर। कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है। कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु जिलों में आवश्कतानुसार चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थाई संविदा नियुक्ति का अधिकार जिला कलेक्टरों को सौपा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के तहत कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु जिलों में आवश्कतानुसार अधिकतम पांच चिकित्सक एवं तीन विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थाई संविदा नियुक्ति आगामी तीन माह के लिए करने के अधिकार जिला कलेक्टरों को प्रत्यायोजित किया गया है। जिलों में संविदा नियुक्ति के लिए विशेषज्ञों की अनुपलब्धता की स्थिति में विशेषज्ञों के उपलब्ध तीन पदों के विरूद्ध तीन अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी।

धांधली, कालाबाजारी और धारा 144 के उल्लंघन पर की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

» एक रेस्टोरेंट को सील किया गया तो दो राशन दुकानों पर की दण्डनीय कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण से बचाव हेतु पूरे विश्व में 21 दिनों के लिए लॉक डाउन किया गया है।

जिससे रायगढ़ शहर में हो रही धांधली व मूल्य वृद्धि की शिकायतें मिल रही थी। कलेक्टर यशवंत कुमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे सभी व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने हेतु एसडीएम आशीष देवांगन को निर्देशित किया। एसडीएम आशीष देवांगन के मार्गदर्शन में कई दुकानों एवं संस्थानों की आकस्मिक जांच की गई। जिसमें राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार लीलाधर चन्द्रा सहित खाद्य एवं विधिक माप विज्ञान विभाग के संयुक्त टीम द्वारा 2 थोक विक्रेता व गनगौर रेस्टोरेंट में जाकर मुआयना किया।

जिसमें रायगढ़ आर.एस.इंटरप्राइजेज (राम निवास टाकीज रोड) द्वारा ड्राईफूड, पापड़, आचार, पोहा, चाउमीन आदि बिना एमआरपी के बिना बैच नंबर वाले पैकेट का निर्माण एवं कम वजन के पैकेट से साथ विक्रय किया जा रहा

था। जिसके खिलाफ विधिक माप विज्ञान नियम 4, नियम 6 एवं 27 के तहत पैकेट बंद वस्तु नियम 2011 का उल्लंघन पाये जाने पर विधिक माप विज्ञान अधि.2009 की धारा 36 (1)के तहत कार्यवाही की गई। इसी तरह शिवसखी ट्रेडर्स कमल लालवानी रामनिवास टाकीज रोड द्वारा विक्रय किए जा रहे लहसून 5 किलो ग्राम एवं 10 किलो ग्राम के पैकेट में 100 से 150 ग्राम वजन में कमी पाया गया।

जिसको विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 12 का उल्लंघन होने पर धारा 30 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की गई। गनगौर स्वीट्स के संचालक द्वारा दुकान का दरवाजा पीछे से खोलकर सामानों का विक्रय किया जा रहा था। जिसको धारा 188, 144 का उलघन्न करने के कारण दुकान को बंद कर सील किया गया।

गरीब मजदूर एवं दैनिक श्रमिक व कर्मियों से एक महीने तक किराया नहीं मांग सकेंगे मकान मालिक

» कलेक्टर ने जारी किया आदेश, उल्लंघन पर सजा और जुर्माने का है प्रावधान

» इस हेतु हेल्पलाइन नंबर 07762-223750 भी किया गया है जारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ जिला औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां लाखों की संख्या में कर्मचारी एवं मजदूर विभिन्न कंपनियों में कार्यरत है। जिनमें से अधिकांश लोग किराये के घरों में रह रहे है। कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण से बचाव हेतु पूरे विश्व में 21 दिनों के लिए लॉक डाउन किया गया है। जिसकी वजह से कई कंपनियों का संचालन बंद है। जिले के भवन स्वामियों द्वारा ऐसे लोगों से भवन का किराया लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जिससे वहां के मजदूर एवं श्रमिक किराये के मकानों को छोड़कर अपने मूल स्थानों के लिए जाने को विवश हो रहे है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी यशवंत कुमार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से यह आदेश जारी किया है कि जिले के किसी भी भवन स्वामी द्वारा किसी भी मजदूर एवं कर्मचारी जो जिले के विभिन्न इकाईयों, कंपनियों एवं कार्यालयों में कार्यरत है, उससे आवासीय भवन के किराये की मांग एक माह तक किसी भी दशा में नहीं करने हेतु कहा है। आवासीय भवन किराया आदेश की तिथि से एक माह के उपरांत ही लेना सुनिश्चित करें।

यदि जिले भवन स्वामी उक्त आदेश का उल्लंघन करते है तो संबंधित के खिलाफ एक वर्ष तक की सजा या अर्थदण्ड या दोनों हो सकता है और यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जानमाल की क्षति होती है तो यह सजा दो वर्ष तक भी हो सकती है। यदि किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना जिला स्तरीय नोवेल कोरोना वायरस नियंत्रण का के दूरभाष नंबर 07762-223750 पर दे सकते है।

» श्रमिकों, ड्रायवरों एवं पलायन कर रहे लोगों को समझाईश के साथ की गई उनके भोजन की व्यवस्था

भीड़भाड़ में शारीरिक दूरी बनाने की हिदायत के साथ जरूरतमंदों के लिये आगे आये पुलिस अफिसर

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अनावश्यक घरों से बाहर न निकले । आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी करते समय स्वयं के सुरक्षा हेतु माक्स, ग्लब्स पहनकर खरीददारी करें और लोगों से शारीरिक दूरी बनाये रखें।

इसके साथ ही जिलेवासियों को लॉक डाउन दौरान असुविधा न हो इसके लिये पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रशासन, स्थानीय स्वयंसेवी संस्था, व्यपारीगण एवं समाजसेवियों के सहयोग से हर जरूरी कदम उठाये जा रहें है । दिनांक 29.03.2020 को थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक चमन सिन्हा द्वारा बरमकेला क्षेत्र के

राशन व्यापारियों की थाना में मीटिंग ली गयी । व्यापारियों को राशन सामग्री अधिक मूल्य पर नही बेचने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने, ग्राहकों को समान देते और पैसा लेते समय ग्लब्स सेनेटाइजर का लगातार उपयोग करने की हिदायत दिया गया । चर्चा के दौरान उन्होने व्यापारीबंधुओं को निर्धन लोगो को राशन सामग्री वितरण करने का आग्रह किया गया जिस पर वे सहर्ष तैयार हो गए । थाना प्रभारी भूपदेवपुर द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत जरूरतमंदों को भोजन, पानी प्रदाय करते करने से पहले सैनिटाइजर से हाथ धुलवाया गया और मास्क लगाने हेतु हिदायत दिया गया।

जूटमिल पुलिस द्वारा स्थानीय व्यापारियों की मदद से फंसे दिगर प्रांत के ड्राइवरों को खाना खिलाया गया तो थाना प्रभारी लैलूंगा द्वारा 05 व्यक्तियों को जो महाराष्ट्र से पैदल चलते हुए लुडेग जा रहे थे उन्हें रोकवाकर भोजन कराया गया।

थाना प्रभारी घरघोड़ा द्वारा उनके थाना क्षेत्रान्तर्गत ठेका में फेक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को लॉकडाउन के बारे में और सोसल डिसटेन्स के बारे में बताया गया। साथ ही सम्बंधित ठेकेदारों को मजदूरों को कोई परेशानी न हो इस हेतु हिदायत दिया गया । उनके द्वारा भी जरूरतमन्दों में राशन सामाग्री का वितरण कराया गया है । इसी बीच थाना प्रभारी सारंगढ पुलिस द्वारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स व मारवाड़ी युवा मंच के सहयोग से तहसील सारंगढ़ के दूरस्थ जंगल मे बसे गांवों में अपने स्टाफ के साथ जाकर राशन वितरण कर कोरोना से बचने के उपाय व सावधानियों को बताया गया।

तहसीलवार बनाये गये क्वारेंटीन सेंटर में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर यशवंत कुमार द्वारा तहसीलवार क्वारेंटीन सेंटर बनाया गया है। क्वारेंटीन सेंटर में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु तहसीलवार कार्यपालिक दण्डाधिकारी को नियुक्त किया गया है। जिनमें तहसील रायगढ़ में डिप्टी कलेक्टर अरूण कुमार सोम, पुसौर में नायब तहसीलदार आयुष तिवारी, सारंगढ़ में नायब तहसीलदार बंदेराम भगत, बरमकेला में नायब तहसीलदार राकेश वर्मा, खरसिया में नायब तहसीलदार विवेक पटेल, तमनार में नायब तहसीलदार तीरथ राम कश्यप, घरघोड़ा में नायब तहसीलदार हितेश साहू, धरमजयगढ़ में नायब तहसीलदार सुश्री नीतू भगत एवं तहसील लैलूंगा में नायब तहसीलदार अनुज पटेल को कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया गया है।

अनाधिकृत रूप से दिगर जिला एवं राज्य जा रहे 106 लोगों को रैरूमा चेकप्वाइंट पर रोका गया

» लॉक डाउन में नियमों की अनदेखी कर अनाधिकृत रूप से ले जा रहे वाहनों की हुई जप्ती, वाहन चालकों एवं स्वामियों पर होगी कार्यवाही

» जिले की सभी सीमाएं सील, अनाधिकृत वाहनों एवं व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित

लॉक डाउन के समाप्ति तक बने रहेंगे अस्थाई कैंपों में

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला रायगढ़ एवं जशपुर के बॉर्डर पर स्थित पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द के सामने बने चेकप्वाइंट पर निरंतर दिगर राज्य से आने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की जांच की जा रही है। लाक डाउन के नियमों के अनुसार एक जिले से दूसरे जिले तथा एक राज्य से दूसरे राज्य जाना प्रतिबंधित है इसलिए जो जहां है वहीं बने रहे जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

राज्य शासन द्वारा ऐसे गैरकानूनी रूप से सीमा पार करने वाले लोगों की उचित व्यवस्था करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिया गया है । जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के मार्गदर्शन पर जिले के सभी बॉर्डर सील कर दिये गये है चेकप्वाइंट में ऐसे अनाधिकृत रूप से जा रहे लोगों एवं वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसी क्रम में आज पुलिस चौकी रैरूमा अंतर्गत चेक प्वांट में सुबह से करीब 8 वाहन ट्रेलर, छोटा हाथी, कंटेनर आदि वाहनों में अनाधिकृत रूप से ड्राइवर, श्रमिक वर्ग के लोग जशपुर, झारखंड के जिलों में जाने के लिए निकले वाहनों को रोका गया।

ये लोग रायगढ़, पुणे आदि कई शहरों के हैं, अवैध रूप से ड्राइवर व श्रमिकों को अपनी वाहनों में लेकर जाने वालों के वाहनों की जब्ती रैरूमा पुलिस द्वारा की गई है। इन वाहन स्वामियों एवं चालकों के विरुद्ध लॉक डाउन दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जावेगी।

चेक प्वाइंट पर रोके गए करीब 106 महिला, पुरूष एवं बच्चों के लिए रुकने, भोजन आदि की व्यवस्था रैरूमा के स्थानीय स्कूल व शासकीय भवनों में की गई है। वर्तमान में जिले की सभी सीमाएं सील है, लॉक डाउन दौरान एक जिले से दूसरे जिले जाना तथा एक राज्य से दूसरे राज्य जाना प्रतिबंधित है इसलिए जो जहां है वहीं बने रहे।

यदि कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से बार्डर क्रास करने जा रहा है, उन्हें पुलिस एवं प्रशासक की टीम रोक रही है और वहीं उनके रूकने आदि की व्यवस्था की जा रही है , इसलिए असुविधा से बचने के लिए जो जहां है वहीं बने रहे । यदि किसी प्रकार की भोजन, चिकित्सा आदि की असुविधा हो तो जिला प्रशासन से सम्पर्क किया जा सकता है।

कलेक्टर ने घोषित किये राशन, फल व सब्जियों के दाम

» वस्तु की कालाबाजारी जमाखोरी करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही » दुकानों में विक्रय दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी यशवंत कुमार ने रायगढ़ में कोरोना वायरस (कोविड-19)के रोकथाम के लिए लागू राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन की अवधि में जिले के आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए मूलभूत सुविधा के तहत फल, हरी सब्जी एवं राशन सामग्री निर्धारित प्रतिकिलो की दर पर कृषि उपज मंडी समिति रायगढ़ से प्राप्त सुझाव अनुसार घोषित किया है।

दुकानदारों को फल, हरी सब्जी एवं राशन सामग्री विक्रय हेतु दुकानों में लोगों के बीच न्यूनतम एक मीटर की दूरी बनाकर विक्रय का कार्य करना होगा तथा दुकानों में एक समय में 5 से अधिक लोगों की भीड़ न लगाये।

किराना सामग्री की दरें प्रति किलो ग्राम के अनुसार से

चावल (सरना) 20-24, चावल (एचएमटी) 30-35, चावल (बीपीटी)28 से 35, अरहर दाल (उत्तम)90-100, अरहर दाल (मध्यम)70-80, मसूर दाल 60-65, उड़द दाल 80-90, मूंग दाल 90-100, चना दाल 60-65, शक्कर 38-40, चायपत्ती प्रिंट रेट, आटा (उत्तम)30-35, आटा (मध्यम)28 से 30, मैदा 32-35, सूजी 35-40, तेल (रिफाईन)90-100, तेल (सोयाबीन)90-100, तेल सनफ्लावर 105-110, तेल सरसो 110-120, पोहा 35-40, देशी चना 50-55, बेसन 70-80, नमक 10-20, आलू 20-25, प्याज 25-30, लहसून 80-100 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित है।

सब्जी की दरें प्रति किलो ग्राम के अनुसार से

टमाटर 20-25, भिंडी 30-40, कटहल 30-40, मुनगा 40-50, पत्ता गोभी 25-30, लौकी 18-20, बरबटी 30-40, फूल गोभी 35-40, कद्दू 20-25, ग्वारफल्ली 35-40, कुन्दरू 25-30, मिर्ची हरा 35-40, हरा धनिया 100-110, बैगन 10-15, करेला 35-40, अदरक 70-75 एवं खीरा 15-20 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित है।

फल की दरें प्रति किलो ग्राम के अनुसार से

अंगूर 80-100, सेव 100-120, मूसबी 50-60, संतरा 50-60, अनार 100-110, केला 35-50 रुपए प्रति दर्जन, दूध 40-45 रुपए प्रति लीटर एवं दही 80-90 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित है।

उपरोक्त सामग्रियों का दर फुटकर विक्रेता हेतु खुले सामान के लिए है। ब्रान्डेड कंपनी की सामग्रियों में प्रिंट रेट दर ही लागू होगा।

समस्त थोक व्यापारी मूल्य एवं स्टॉक सूची का अपने संस्थानों में अनिवार्य रूप से चस्पा करेंगे एवं बिल सहित फूटकर विक्रेता को वस्तु का विक्रय करेंगे। आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी एवं जमाखोरी करते पाये जाने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

» किसी में कोरोना के लक्षण नहीं पाये गए
» स्वास्थ्य विभाग कर रहा है इनकी नियमित मॉनिटरिंग

अन्य राज्यों से 4197 लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण कर रखा गया क्वारेंटीन में

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा विदेशों तथा अन्य प्रदेशों की यात्रा से लौटे हुए लोगों को नियमित रूप से ट्रेस कर रहा है। जिसके पश्चात उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें होम आइसोलेशन तथा सेल्फ क्वारेंटीन में रखा जा रहा है।

जिसकी स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। 29 मार्च 2020 तक विदेश से कुल 83 यात्री जिले में आये। जिसमें से सभी लोगों को होम आइसोलेशन एवं क्वारेंटीन में रखा गया। इसमें से 69 यात्रियों को होम आइसोलेशन में रहते 14 दिनों से अधिक हो गए है। इन यात्रियों में कोरोना संबंधी कोई लक्षण नही पाए गए हैं तथा 14 यात्री 14 दिनों की आइसोलेशन की अवधि में है। इसी प्रकार 28 मार्च तक कुल 4197 व्यक्ति अन्य राज्यों की यात्रा कर जिले में लौटे है। जिसमें 28 मार्च को 382 लोगों की स्क्रीनिंग कर होम आइसोलेशन में रखा गया। कुल 4197 लोगों में 372 लोगों ने होम आइसोलेशन में 14 दिन पूर्ण कर लिया है तथा उनमें कोई लक्षण नही है। शेष 3825 लोग वर्तमान में होम आइसोलेशन की 14 दिनों की अवधि अपने-अपने घरों में है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHH-